LOK SABHA

Tuesday, May 4, 1965/Vaisakha 14, 1887 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

RE: QUORUM

Mr. Speaker: Should I repeat my request that I should not have to wait till the quorum is there? Members should take greater care that at least from the start we must have the quorum at 11 o/clock.

ORAL ANSWERS TO QUSETIONS

दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी स्टोर

\+

*1147. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री दाजी :
श्रीमती विमला देवी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री हेमराज :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री 24 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 170 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली राज्य के सेंट्रल कोआपरेटिव स्टोर के कार्यकरण में भारी अनियमितताओं सम्बन्धी पुलिस जांच रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा-सचिव ((श्री शिन्दे): पुलिस जांच की

रिपोर्ट के आधार पर (क) अनाधिकृत स्थान में गुड/खांडसारी स्टोर करने व बेचने तथा निदेशक, सिविल रसद, दिल्ली को पाक्षिक विवरण न भेजने और (ख) लोहे व इस्पात की चोरबाजारी करने के बारे में अभियोग चलाए गए हैं।

सब-स्टैण्डर्ड कोयला बेचने के बारे में पुलिस जांच कर रही है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : दिल्ली के इस कोआपरेटिव स्टोर के सम्बन्ध में जैसी अभी आपने चर्चा की, कोयले और लोहे के घोटाले के सम्बन्ध में पुलिस ने अपनी जो रिकमेन्डेशन दी थी उसमें दस व्यक्तियों के नाम थे। उस पुलिस रिपोर्ट में दो पार्लियामेंट के मेम्बरों के नाम भी थे। लेकिन कहा जाता है कि एक नाम तो चीफ कमिश्नर ने उसमें से निकलवा दिया और दूसरे ने फिर से केस को रिओपन करवा कर अपना नाम उसमें से हटवा दिया। यदि यह बात सत्य है, तो मैं जानना चाहता हूं कि सहकारी स्टोरों से कैसे इस तरह के भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है ?

Shri Shinde: As far as the factual position is concerned, after the completion of the police investigation in respect of blackmarketing in iron and steel, GC sheets, charge-sheets have been framed against six persons and six different cases have been filed in the court of law. The cases are pending at present in the SDM's court, Paharganj.

Mr. Speaker': The hon. Member says that there were two names of Members of Parliament and by some influence they have been taken out from those lists.

Shri Shinde: I think the police have proceeded without interference